प्रेस नोट

दिनांक 10.09.2025

थाना राठ पुलिस द्वारा चोरी के सामान सहित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना राठ पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 405/2025 धारा 303(2) /324(4)बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को धमना तिराहे के पास थाना राठ जनपद हमीरपुर से चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर मा0 न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 08.09.2025 को रात्रि में दीपेन्द्र सिंह पुत्र लाल दीमान निवासी ग्राम अकौना व 03 अन्य लोगों के सोलर पम्प की वायर चोरी से काट लिया था व उन्हीं केबिल (वायर) को बेचने के लिये बोरी में भरकर जा रहा था।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 08.09.2025 को वादी दीपेन्द्र सिंह पुत्र लालदिमान निवासी ग्राम अकौना थाना राठ हमीरपुर के लिखित तहरीर, बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी के सोलर पम्प की वायरिंग चोरी कर लेना तथा सोलर प्लेंटो को क्षतिग्रस्त कर देने के सम्बंध में प्राप्त हुआ था। प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 09.09.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 405/2025 धारा 303(2)/324(4) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. हरनारायण पुत्र दयाराम निवासी ग्राम धनौरी थाना राठ जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 30 वर्ष) ।

बरामदगी का विवरण-

02 बोरी में सोलर पम्प की वायर (केबिल) व 01 अदद कटर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 रामनरेश राजपूत
2. उ0नि0 पी0आर0 गौरव